# सेवा का अधिकार आयोग के साक्षात्कार में असफल रहे फरीदाबाद निगमायुक्त

**चंडीगढ़,** राजेश जैन (पंजाब केसरी): हरियाणा में नौकरशाही का कामकाज और स्तर क्या है इसका खुलासा सेवा का अधिकार आयोग द्वारा की गई सुनवाई के दौरान हुआ है। मामले के अनुसार आयोग की सुनवाई में सामने आया कि नगर निगम फरीदाबाद के आयुक्त को सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवाओं की संख्या की जानकारी नही है। इस पर आयोग ने नाखुशी जाहिर करते हुए उसे सभी अधिसूचित सेवाओं का डाटा जुटाने और 16 सितम्बर तक सूचना भिजवाने के निर्देश दिए हैं, चाहे वे अन्त्योदय सरल पोर्टल, किसी ऑनलाइन तरीके से या किसी एप के माध्यम से या फिर किसी ऑफलाइन तरीके से क्यों न मुहैया करवाई जा रही हों। आयोग के मुख्य आयुक्त टी.सी. गुप्ता ने बताया कि 9 अगस्त, 2021 को जारी पत्र के तहत स्वत: संज्ञान नोटिस की प्रतिक्रिया में ई-मेल के माध्यम से 3 सितम्बर को जवाब मिला और नगर निगम फरीदाबाद के आयुक्त यशपाल को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। सबसे पहले, नगर निगम आयुक्त ने बताया कि अन्त्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से 126 सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। हालांकि, जब उनसे पूछा गया कि अधिनियम के तहत कितनी सेवाएं अधिसूचित हैं तो उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन से जुड़ी सुनवाई में अधिकारी को अधिसूचित सेवाओं की संख्या तक का पता नहीं था। उन्होंने बताया कि 3 सितम्बर, 2021 को निगम सचिव अनिल कुमार यादव की ओर से भेजे गए जवाब में सिर्फ एक सेवा की जानकारी दी गई, जबकि जानकारी सभी अधिसूचित सेवाओं के बारे में मांगी गई थी। इससे स्पष्ट है कि अनिल कुमार यादव ने जवाब भेजने से पहले नोटिस को पढ़ना तक उचित नहीं समझा, जिसके लिए नाखुशी दर्ज की गई है और इसके बारे में उन्हें नगर निगम फरीदाबाद के आयुक्त द्वारा अवगत करवा दिया जाएगा। टी.सी. गुप्ता ने बताया कि सेवा संख्या 27 अर्थात 'जन्म/मृत्यु प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतियां' के साथ सेवाओं की समीक्षा शुरू की गई, जिसके लिए अधिसूचित समय-सीमा चालू वर्ष के लिए 14 दिन और पिछले वर्षों के लिए 30 दिन है।